उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Uttarakhand Open University

विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी- 263139

फोन:- 05946-286000 website www.uou.ac.in

निविदा –सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुरूप परिसर की स्वच्छता एवं पूर्णत: दैनिक सेवा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों की मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु श्रम /सेवायोजन /आयकर एवं व्यापार कर विभाग में पंजीकृत एवं उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त/पंजीकृत बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसियों/फर्मों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। व्यक्तिगत/पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि **दिनांक 28.07.2018 सांय 3.00** बजे तक है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेब-साइट **www.uou.ac.in** पर उपलब्ध है।

कुलसचिव
13/7/18

विश्वविद्यालय में स्वच्छता व्यवस्था एवं मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु निविदा

क. विश्वविद्यालय में कार्यालयी कार्य हेतु कुशल (तृतीय श्रेणी) एवं अकुशल (चतुर्थ श्रेणी)कार्मिकों की आपूर्ति हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें:-

- कुशल श्रेणी के कार्मिकों को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में दक्ष होना चाहिए तथा लेखा संबंधी कार्यों का अनुभव एवं टैली साफ्टवेयर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
- अकुशल श्रेणी के कार्मिक कक्षा आठ उत्तीर्ण एवं साइकिल चलाना आवश्यक रूप से आना चाहिए।
- कार्मिकों की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कार्य की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 8 (आठ) घंटे होना आवश्यक है।

ख. विश्वविद्यालय एवं सम्पूर्ण परिसर की सफाई/हाऊसकीपिंग हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें:-

विश्वविद्यालय में बने सम्पूर्ण कक्षों, सभागारों, शौचालयों, संपर्क मार्ग, वाहन पार्किंग एवं अन्य स्थलों जहॉ आवश्यकता होगी अथवा निर्देशित किया जायेगा, को प्रत्येक कार्यदिवसों में (अवकाश दिवसों में भी) स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित जायेगी। स्वच्छता कर्मी/पर्यावरण मित्र की आपूर्ति फर्म द्वारा की जायेगी तथा आवश्यक सफाई सामग्रियॉ विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

निविदा के नियम एवं शर्तें:-

1. प्रथम बिड तकनीकी तथा द्वितीय बिड वित्तीय होगी, तकनीकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड हेतु अर्ह होगें।

2. प्रश्नगत कार्यों हेतु निविदा टू-बिड सिस्टम से स्वीकार की जायेगी जिसमें सर्वप्रथम एक लिफाफे पर "टेक्नीकल-बिड लिफाफा संख्या-1" लिखा होगा, में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को जोड़कर ₹ 590/- (₹ पॉच सौ नब्बे मात्र नॉन-रिफंडेबिल) तथा प्रतिभूति राशि ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से क्रय किया गया हो तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के नाम देय हो, अन्य प्रपत्रों (फाईनेंशियल बिड को छोड़कर) के साथ रखा जायेगा, दूसरे लिफाफे में जिस पर " फाईनेंशियल बिड लिफाफा संख्या-2 लिखा होगा, में मात्र फाईनेंशियल बिड की दरें होंगी, रखी जाएंगी, दोनों लिफाफों पर निविदा-दाता का नाम अवश्य लिखा जाना होगा। दोनों लिफाफे अलग-अलग पूरी तरह सील-बंद कर एक बड़े लिफाफे में रखी जायेंगी तथा उस पर " स्वच्छता एवं मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु निविदा" तथा निविदा-दाता का नाम अंकित होगा। सफल निविदा-दाता की प्रतिभूति राशि को जमानत राशि में परिवर्तित कर दिया जायेगा। असफल निविदा-दाता की प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार वापस कर दी जायेगी। व्यक्तिगत/पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा **दिनांक 28.07.2018 सांय 3.00** बजे तक कार्यालय कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी- 263139 में जमा करना आवश्यक है, देर से प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा डाक विभाग द्वारा विलम्ब हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

3. निविदा का टैक्नीकल-बिड उसी दिन सायं 3.30 बजे, इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा। प्रत्येक निविदा-दाता से मात्र एक निविदा प्रपत्र स्वीकार किया जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदा-दाता का मात्र एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है जिसे समस्त मूल अभिलेख अपने पास रखने होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर समिति के समक्ष उपस्थित करना होगा। निविदा-मूल्य/प्रतिभूति राशि के अभाव में जमा किये गए निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। अस्पष्ट लिखावट, कटे हुए, अहस्ताक्षरित प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार किया जा सकता है। टेक्निकल-बिड में सफल निविदा-दाताओं को फाईनेंशियल-बिड खोले जाने के लिए उसी दिन या किसी अन्य दिन, जो भी समिति का निर्णय होगा, पुन: बुलाया जा सकता है।

4. निविदा-प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए निविदा-दाता को निम्न अर्हताएं पूर्ण करनी आवश्यक हैं:-

क. निविदा-दाता को विश्वविद्यालय की समस्त शर्ते मान्य होंगी, इस आशय का लिखित अभिवचन देना होगा।

ख. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगीं।

ग. निविदा-दाता की फर्म व्यापार-कर विभाग, सेवा-कर विभाग एवं श्रम विभाग/सेवायोजन में पंजीकृत होना आवश्यक है।

घ. निविदा-दाता के पास सम्बन्धित कार्य का कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। पुष्टि के लिए कार्यादेश (Work-order) की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

ङ. निविदा-दाता का वार्षिक टर्न-ओवर किसी भी दशा में ₹ 50 लाख प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

च. निविदा-दाता द्वारा वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

छ. निविदा-दाता द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-2017 के Audited Balance-Sheet की छायाप्रतियां संलग्न किया जाना आवश्यक है।

ज. निविदा-दाता को कम से कम पांच व्यक्तियों को एक साथ नियोजित करने एवं श्रम-नियमों के अनुरूप वेतन भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए। पुष्टि के लिए विगत छः माह में फर्म द्वारा नियोजित व्यक्तियों की सूची, उनको किये गए भुगतान के वेतन का स्टेटमेंट एवं संस्थानों की सूची संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

झ. वित्तीय दरें श्रम विभाग के अद्यतन शासनादेश से कम स्वीकार नहीं की जायेगीं।

5. कार्मिकों का नियोजन एवं वेतन पूर्णतया शासन के श्रम नियमों के अनुसार होना चाहिए। श्रम-नियमों का उल्लंघन करने तथा/अथवा/फर्म के साथ किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही के लिए फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा। ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा।

6. ₹100/- के स्टाम्प (Stamp) पर किसी भी संस्था/विभाग द्वारा Black-Listed न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. फर्म द्वारा नियोजित कार्मिक किसी भी दशा में विश्वविद्यालय के कार्मिक नहीं माने जायेंगे तथा वे नियमितीकरण या अन्य किसी सेवा लाभ के लिए अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार की मांग किये जाने पर फर्म के द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

8. मानसिक रूप से अस्वस्थ्य अथवा किसी संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।

9. नियोजित कार्मिकों की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. कार्मिकों के कार्य की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 8 (आठ) घंटे होना आवश्यक है।

11. किसी कार्मिक के अवकाश पर जाने की दशा में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

12. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि नियोजित कार्मिक व्यवहार कुशल, कार्य कुशल, अनुशासनबद्ध तथा कार्य के प्रति समर्पित हैं। किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, बिना सूचना के अनुपस्थित रहना या विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुँचाना, अनुबंध का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसी दशा में कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्व-विवेक से पेनाल्टी लगायी जा सकती है जो फर्म को प्रत्येक दशा में मान्य होगा।

13. विश्वविद्यालय में बाह्य स्रोत के माध्यम से तैनान होने वाले कार्मिकों की संख्या 01 से 50 तक हो सकती है।

14. नियोजित कार्मिकों का पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण-पत्र, मेडिकल प्रमाण-पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटो जमा करना अनिवार्य है।

15. यदि अनुबंध के मध्य किसी कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक नियोजित किया जाता है तो इसकी विधिवत सूचना विश्वविद्यालय को देनी होगी।

16. अनुबंध करते समय नियोजित किये जाने वाले समस्त कार्मिकों की सूची एवं अन्य विवरण पृष्ठ संख्या- 10 की तालिका के अनुसार देना होगा।

17. फर्म द्वारा नियोजित कार्मिक यदि किसी भी प्रकृति के नशे का सेवन कर विश्वविद्यालय परिसर में प्राप्त होते हैं तो उनके तथा फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। फर्म को काली-सूची (Black-List) में डाला जा सकता है तथा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

18. संस्था/फर्म द्वारा विश्वविद्यालय में योजित कार्मिक कभी भी किसी हड़ताल या धरना प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगें। यदि किसी भी गैर-धरना प्रदर्शन में सम्मिलित रहेगें तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी।

19. फर्म द्वारा नियोजित कार्मिकों का EPF/ESI इत्यादि कटौती की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कार्मिक किसी भी दशा में नहीं माने जायेगें, मासिक पारिश्रमिक का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा।

20. विश्वविद्यालय में मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु कुलसचिव के स्तर से मांग पत्र प्रेषित किया जायेगा।

21. फर्म द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किये जाने की दशा में तत्काल अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

22. कार्य के मध्य फर्म द्वारा नियोजित कार्मिकों के बीमार पड़ने, घायल होने या अन्य किसी सहायता की आवश्यकता को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा। विश्वविद्यालय का इस प्रकार के काम में कोई सहभागिता अथवा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

23. फर्म द्वारा नियोजित किसी कार्मिक के विरूद्ध शिकायत किये जाने पर फर्म को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए दूसरे कार्मिक की तैनाती करनी होगी।

24. कुशल (तृतीय श्रेणी) हेतु स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में दक्ष होना चाहिए तथा लेखा संबंधी कार्य अनुभव के साथ टैली साफ्टवेयर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

25. अकुशल (चतुर्थ श्रेणी) हेतु कक्षा आठ उत्तीर्ण एवं साइकिल चलाना आवश्यक रूप से आना चाहिए।

26. यदि किसी दिन/किसी माह फर्म द्वारा नियोजित कार्मिकों की संख्या उक्त प्रस्तावित संख्या से कम पाई जाती है तो उक्तानुसार फर्म के बीजक से कटौती कर ली जायेगी।

27.निविदा आधारित अनुबंध के मध्य किसी भी स्थिति में दरों में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

28.कार्मिकों की संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

29.सफल निविदा-दाता को ₹ 100/- के Non-judicial Stamp paper पर अनुबंध करना होगा।

30. किसी भी विवाद की दशा में कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा, वाद हेतु कार्यक्षेत्र हल्द्वानी होगा।

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

टेक्नीकल-बिड लिफाफा संख्या-1

विषय:- कुशल, अकुशल तथा पर्यावरण मित्र हेतु निविदा

1. नाम फर्म : ....
2. नाम फर्म संचालक : ....
3. एकल स्वामित्व/बहु स्वामित्व : ....
4. मोबाईल न0 : .... फोन न0 : ....
5. पर्यवेक्षक का मोबाइल न0 : ....
6. फर्म का पता : ....

   ....
7. सेवा-कर विभाग में पंजीकरण संख्या : ....

   (छायाप्रति संलग्न करें)
8. विक्री-कर विभाग में पंजीकरण संख्या : ....

   (छायाप्रति संलग्न करें)
9. श्रम विभाग में पंजीकरण का विवरण।
10. किसी संस्था के साथ कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र।
11. नियोजित कार्मिकों का विवरण।
12. बैंक ड्राफ्ट संख्या .... बैंक ....

    दिनांक .... ₹ ....

दिनांक:

फर्म का नाम:
हस्ताक्षर:
पता:

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

टेक्नीकल-बिड लिफाफा संख्या-2
चेक लिस्ट (Check-List)

क्रम संख्या	विवरण	संलग्न है/नहीं है (कृपया टिक करें)	यदि संलग्न नहीं है तो कारण
1.	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... बैंक...दिनांक.......................... ₹ 590.00 (Non-refundable)	संलग्न है/नहीं है	
2.	बैंक ड्राफ्ट संख्या .... बैंक...दिनांक.......................... ₹ 20,000/-	संलग्न है/नहीं है	
3.	वर्ष 2015-2016 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति	संलग्न है/नहीं है	
4.	वर्ष 2016-2017 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति	संलग्न है/नहीं है	
5.	फर्म का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक टर्न-ओवर .... लाख (छायाप्रति) (कम से कम ₹ 50 लाख होना अनिवार्य है)	संलग्न है/नहीं है	
6.	फर्म का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक टर्न-ओवर .... लाख (छायाप्रति) (कम से कम ₹ 50 लाख होना अनिवार्य है)	संलग्न है/नहीं है	
7.	कार्य का अनुभव (कम से कम पॉच वर्ष होना अनिवार्य है) कार्यादेश की छायाप्रतियॉ संलग्न करें।	संलग्न है/नहीं है	
8.	विगत छ: माह में फर्म द्वारा नियोजित व्यक्तियों की सूची, उनकोकिये गये भुगतानके वेतन का स्टेटमेंट एवं संस्थानों की सूची संलग्न कियाजाना अनिवार्य है।	संलग्न है/नहीं है	
9.	यदि किसी न्यायालय में फर्म के विरूद्ध कोई वाद विचाराधीन है तो वाद संख्या सहित सम्पूर्ण विवरण अलग शीट पर संलग्न करें।	संलग्न है/नहीं है	
10.	किसी शासकीय संस्था से Black List न होने का प्रमाण-पत्र	संलग्न है/नहीं है	

दिनांक:

फर्म का नाम:
हस्ताक्षर:
पता:

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

फाईनेंशियल बिड लिफाफा संख्या-1

विषय:- कुशल, अकुशल तथा पर्यावरण मित्र हेतु निविदा

मैं/हम निविदित कार्य हेतु निम्न प्रकार वित्तीय दरों को कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते हैं:-

क्रम संख्या	नियोजित कार्मिकों का विवरण	कार्मिकों की संख्या	दरें (₹) अंकों में	टैक्स	योग	दरें (₹) शब्दों में
1.	कुशल	01	-	-		
2.	अकुशल	01	-	-		
3.	सफाई कार्मिक/पर्यावरण मित्र (हाऊसकीपर)	01	-	-		

दिनांक:

फर्म का नाम:
हस्ताक्षर:
पता:

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अभिवचन-पत्र

मैं/हम ....एवं .... एवं ....

स्वामी../ सहभागी फर्म ....

पता .... मोबाइल संख्या .... निम्न प्रकार वचनबद्ध होता हूँ :-

कि मैं/हम विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी/कार्मिक के द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करूँगा/करेंगें। यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहता/रहते हूँ/हैं तो विश्वविद्यालय जमानत राशि जब्त करने, फर्म को ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य कोई पेनाल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस पर मुझे/हमेंकोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक:

फर्म का नाम:

हस्ताक्षर:

पता:

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

फाईनेंशियल बिड लिफाफा संख्या-2

नियोजित किये जाने वाले कार्मिकों की सूची एवं विवरण:-

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	आयु	पता	पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मेडिकल प्रमाण-पत्र का विवरण	पासपोर्ट साईज फोटो

दिनांक:

फर्म का नाम:
हस्ताक्षर:
पता:

सहायक कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)